

प्रेषक,

शैलेश कुमार
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक / /

विषय : डा० (श्रीमती) विभा पाण्डेय, सेवानिवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी, पी०एस०एम० विभाग, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर को अवकाश खाते में संचित 300 (तीन सौ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-8889(2)वि० दिनांक-24.12.1986, पत्रांक-1829(2)वि० दिनांक 07.04.2005 एवं महालेखाकार, बिहार पटना के ज्ञापांक-LR : 020420251000003, LR No. : 0002/2025-2026 के आलोक में डा० (श्रीमती) विभा पाण्डेय, सेवानिवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी, पी०एस०एम० विभाग, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर के अवकाश खाते में संचित 300 (तीन सौ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) डा० (श्रीमती) विभा पाण्डेय की सेवानिवृत्ति की तिथि-31.01.2025 है।

(3) अनुरोध है कि सभी प्रकार के बकाया के सम्बन्ध में अपने स्तर से पूर्णतः संतुष्ट हो जाने के उपरान्त डा० (श्रीमती) विभा पाण्डेय, सेवानिवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी, पी०एस०एम० विभाग, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर के पक्ष में 300 (तीन सौ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान हेतु प्राधिकार पत्र प्राचार्य-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर के नाम से निर्गत करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(शैलेश कुमार)

ज्ञापांक-2/पेन-26/2025-

673(2) पटना, दिनांक 30/4/2025

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/प्राचार्य, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर/कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर/ डा० (श्रीमती) विभा पाण्डेय, सेवानिवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी, पी०एस०एम० विभाग, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर पत्रचार का पता-ग्राम/मोहल्ला-पवैय, पो०-पवैय, थाना-अमरपुर, जिला-बांका (बिहार), पिन कोड-813101/प्रशाखा पदाधिकारी-03, 09 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव